13/7 अंकिता पुत्री रामकरण पौत्री सुरजा नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षिका माता राधा देवी पत्नी रामकरण जाति माली निवासी छतरी वाली ढाणी तन डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

14. ईसर पुत्र दौला
15. रतनीदेवी पत्नी निवास
16. महेश
17. सचिन पुत्रान निवासी नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षिका माता प्रतिवादी नं. 15 रतनीदेवी पत्नी निवास
18. सुनिता
19. सुमन
20. सोनिया पुत्रियां निवास
21. चावली देवी पत्नी मदन
22. राजू
23. सुशील पुत्रान मदन समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी छतरीवाली तन डूण्डलोद तहसील नवलगढ
24. बाबूलाल पुत्र किशना जाति नायक निवासी डूण्डलोद तहसील नवलगढ
25. ज्योतिदेवी पत्नी संजयकुमार जाति नायक निवासी डूण्डलोद
26. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–प्रतिवादीगण

दावाः बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड शून्य
व बेअसर घोषित करने विक्रय पत्र दिनांक 18.02.2015
जो प्रतिवादी नं. 24 ने प्रतिवादी नं. 25 क पक्ष में तस्दीक करवाया है व स्थाई निषेधाज्ञा

वकील वादीगण–श्री विप्लव पंडित

निर्णय

निर्णय तिथि 27.11.2019

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम डूण्डलोद की छतरी की ढाणी में एक भोजाराम नाम का व्यक्ति हुआ जो फौत हो चुका है, वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 23 भोजाराम के वारिसान हैं। राजस्व ग्राम डूण्डलोद की सरहद में भूमि ख.न. 596 रकबा 5 बीघा 11 बिश्वा, ख.न. 378/860 रकबा 1 विश्वा ख.न. 606 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा, ख.न. 612 रकबा 1 बीघा 16 बिश्वा ख. न. 613 रकबा 1 बीघा 4 बिश्वा ख.न. 614 रकबा 1 बीघा 13 बिश्वा कुल किता 6 कुल रकबा 15 बीघा 16 बिश्व पुख्ता स्थित थी। उपरोक्त भूमि के वादी व प्रतिवादीनं. 1 लगायत 23 खोदार काश्तकार हैं जिसको पहले वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 23 के पूर्वज काश्त करते थे अर्थात उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 23 के कदीम से शांतिपूर्व बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे हैं काबिज खातेदार काश्तकार हैं।

इसीप्रकार राजस्व ग्राम डूण्डलोद मे भूमि ख.न. 607 रकबा 2 बीघा 16 बिश्वा, ख.न. 621 रकबा 9 बीघा 14 बिश्वा ख.न. 622 रकबा 1 बीघा 16 बिश्वा कुल रकबा 14 बीघा 6 बिश्वा पुख्ता स्थित थी उपरोक्त भूमि प्रतिवादी नं. 24 की खातेदारी काश्तकारी की पैत्रिक समपति है तथा प्रतिवादी नं. 25 खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त भूमियों के दौराने भूप्रबंध कार्यवाही तथा उसके पश्चात भी ख.न. बदले गये। वादी का विवाद केवल भूमि पुराने ख.न. 606 व 607 से मिलाकर बनाये गये वर्तमान ख.न. 753/1.30 है0 से है। उक्त खसरा नम्बर के संबंध में ही वादी उक्त वाद पेश कर रहा है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। भूमि पुराने ख.न. 606 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा पुख्ता के खातेदार काश्तकार हमेशा से पूर्वजों के समय से ही वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 23

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

हैं। ख.न. 606 का राजस्व रिकाड्र वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 23 के पूर्वजो के नाम सदा से ी चला आ रहा है था तथा राजस्व रिकार्ड के मुताबिक काबिज व काश्त थे तथा वर्तमान में भी काबिज व काश्त है। इसी प्रकार भूमि ख.न. 607 रकबा 2 बीघा 16 बिश्वा का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नं. 24 हमेशा से पूर्वजों के समय से रहा है ख.न. 607 का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नं. 24 के पूर्वज` नाम सदा से ही चला आ रहा है था तथा राजस्व रिकार्ड के मुताबिक ख.न. 607 पर प्रतिवादी नं. 24 काबिज काश्त रहा है।

भूमि पुराने ख.न. 606 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा की हैक्टर्स में रकबा 1.60 है0 बनता है तथा भू पुराने ख.न. 607 रकबा 2 बीघा 16 बिश्वा का है0 में रकबा 0.71 है0 बनता है।भूमि ख.न. 606 के दोराने भूप्रबंध कार्यवाही ख.न. बदले जाकर ख.न. 629/0.07 है0, 630/0.09, 631/0.06, 632/0.47है0 डाले गये तथा ख.न. 606/0.91 है0 व ख.न. 628/1.30 है0 डाले गये तथा खि.न. 607 से ख.न. बदले जाकर 634/0.32 डाले गये। उपरोक्त ख.न. के खसरा नम्बर बदले जाकर ख.न. 754/0.07, 755/0.06, 756/0.09, 757/0.47, 753/1.30, 608/0.32 है0 डाले गये जो वर्तमान ख. न. हैं।

ख.न. 606 का है0 में रकबा 1.60 है0 बनता है में से रकबा 0.69है0 की खातेदारी दौराने सैटलमेन्ट डाले गये ख.न. 629, 630, 631, 632 तथा वर्तमान ख.न. 754, 755, 756, 757 डाले जाकर वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 23 के नाम दर्ज कर दी गई तथा ख.न. 607 का है0 में रकबा 0.71 है0 बनता है में से 0.32 है0 की खातेदारी दौराने सैटलमेन्ट डाले गये। ख.न. 634 वर्तमान ख.न. 668 डाले जाकर खातेदारी प्रतिवादी नं. 24 क नाम दर्ज कर दी।

प्रतिवादी नं. 24 व 25 मिलकर सांझेदारी में जमीनो का धंधा करते हैं और गलत रूप से तस्दीक करवाये गये विकय पत्र दिनांक 18.02.2015की आड में अपनी गलत योजना की कियान्विति में सफल हो सकते है इसलिये प्रतिवादी नं. 24 व 25 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी नं. 24 व 25 गलत राजस्व रिकार्ड व दिनांक 18.02.2015 को विधि विरूद्ध रूप से तस्दीक करवाये गये विकय पत्र की आड में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे।

अतः वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर राजस्व ग्राम डूण्डलोद की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 753/1.30 है0 में रकबा 0.91 है0 का वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 23 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।उक्त घोषित रकबा 0.91 है0 में 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 13 के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 14 लगायत 20 तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 21 लगायत 23 के नाम दर्ज की जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा ख.न. 753/1. 30 है0 में रकबा 0.39 है0 का प्रतिवादी नं. 24 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, प्रतिवादी नं. 24 के नाम दर्ज की गई भूमि का अलग खसरा नम्बर दर्ज किया जावे।

विवादित भूमि ख.न. 753/1.30 है0 के संबंध में प्रतिवादी नं. 24 ने जो गलत व विधि विरूद्ध विकय पत्र दिनांक 18.02.2015 को प्रतिवादी नं. 25 के पक्ष में निष्पादित करवाया है उसे वादी के हक अधिकारों पर शून्य नल एण्ड वोइड बेअसर घोषित फरमाया जावे जिसकी तहरीर प्रतिवादी नं. 27 को भिजवाई जावे।

विवादित भूमि ख.न. 752 रकबा 1.30 है0 संबंध में प्रतिवादी नं. 24 व 25 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी नं. 24 व 25 गलत राजस्व रिकार्ड व दिनांक 18.02.2015 को गलत व विधि विरूद्ध रूप से तस्दीक करवाये गये शून्य विकय पत्र की आड में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे वादी को उसके हिस्से की भूमि को शांति से काश्त करने देवे तथा वादी को बेदखल नही करे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा

Scanned by CamScanner

अतः शहादत वादी ली जाकर बहस वकील वादी सुनी गई।वकील वादी द्वारा दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत में आरआरडी 1993 पेज नं. 433, आरआरडी 1982 पेज नं.111, आरआरडी 1996 पेज नं. 161 आदि पेश किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 23 माली जाति के है तथा प्रतिवादी संख्या 24 व 25 नायक जाति के है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अनुसार ऐसा विक्रय पत्र, दान या वसीयत शून्य होगा जो अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो। हालांकि प्रस्तुत प्रकरण विक्रय, दान या वसीयत से संबंधित नही है लेकिन विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के उल्लंघन में पारित डिक्री अवैध मानी जाती है। अतः प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य की होने से इस भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नही की जा सकती जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस बिन्दु से संबंधित नही होने से प्रकरण में अक्षरशः चस्पा नही होती है। अतः वाद वादी खारिज योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रतिकूल होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27-11-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.11.29 18:28:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: